न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 117/2022 दर्ज दिनांकः–01.12.2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022/378

अन्तर्गत धारा :– 53, 188

अनवान

1. भगवान पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. धन्ना पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपेश पिता भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डाली पत्नि जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. देउ पत्नि भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरी पुत्री जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामेश्वर पिता जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुशीला पुत्री भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बालुराम पिता दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरेश चन्द्र पिता परशुराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सायरी पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सोसर पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश चन्द्र टेलर – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11

:: अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

:: निर्णय ::

दिनांक :– 17/11/2025

1. संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 30.01.2025 के द्वारा प्रकरण संख्या 117/2022 मे वादीगण का वाद स्वीकार किया

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

जाकर राजस्व ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 175 में अंकित आराजी संख्या 2190/57 रकबा 0.10 है0 भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा, तथा शेष प्रतिवादीगण के निहित निहित हिस्से का मौके पर कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2025/629 दिनांक 03.06.2025 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से राजीनामें हो गया है उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाई जावे। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी फरमाने की कृपा करावे।

4. वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 जा.दी. का न्यायालय द्वारा गहनता से अध्ययन करने से पाया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच लोक अदालत की भावना से आपसी समझौता हो गया है एवं उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

6. वादपत्र में सलंग्न जमाबन्दी में मृतक खातेदार जोधराज के वारिसो के द्वारा नामान्तरण नही खुलवाए जाने के कारण जमाबन्दी में खातेदार के रूप में मृतक जोधराज का ही नाम चला आ रहा है। वादपत्र में उक्त खातेदार के वारीसान को प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। जमाबन्दी में जोधराज का नाम होने से विभाजन प्रस्ताव जोधराज के नाम हिस्सा रखते हुए तैयार किया गया है। अतः तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि मृत पक्षकार जोधराज के विधिक वारीसान की जांच की जाकर नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। अतः समझौते अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) रायपुर

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. अम्बालाल पुत्र डालु 111/1000 कुमावत सा. देह 2. जोधराज पुत्र दोला 208/1000 कुमावत सा.देह (मृतक खातेदार के बजाय उसके विधिक वारीसान) 3. बालुराम पुत्र दोला 208/1000 कुमावत सा.देह 4. सुरेशचन्द्र पुत्र परशुराम 55/1000 कुमावत सा. देह 5. सायरी पुत्री दोला 209/1000 कुमावत सा.देह 6. सोसर पुत्री दोला 209/1000 कुमावत सा.देह	ग्राम थला (खाता संख्या 175)	2190/57	0.10
		योग	1	0.10

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 3 के उपनियम 3क के अनुसार डिकी अपास्त करने के लिए ऐसा कोई वाद पुनः इस आराजियात बाबत् प्रस्तुत नही किया जायेगा कि पक्षकारो के मध्य हुआ समझौता जिसके अनुसार जारी की गई है, वह समझौता विधिपूर्ण नही था। उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

(करुणा लाडोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 17/11/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 117 / 2022 — दर्ज दिनांकः–01.12.2022

जीसीएमएस नम्बर :– 2022 / 378

अन्तर्गत धारा :– 53, 188

अनवान

1. भगवान पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. धन्ना पिता अमरा कुमावत निवासी गाडरीखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. अम्बालाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपेश पिता भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डाली पत्नि जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. देउ पत्नि भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भंवरी पुत्री जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. रामेश्वर पिता जोधराज कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सुशीला पुत्री भोजा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बालुराम पिता दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सुरेश चन्द्र पिता परशुराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. सायरी पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सोसर पुत्री दौला कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज – अधिवक्ता वादीगण
2. हरिश चन्द्र टेलर – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11

निर्णय दिनांक :
डिक्री दिनांक :

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जाकिर हुसैन रंगरेज व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री हरिशचन्द टेलर व पैरोकार सरकार उक्त हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53, 188** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 के नियम 3 के उपनियम 3क के अनुसार डिकी अपास्त करने के लिए ऐसा कोई वाद पुनः इस आराजियात बाबत् प्रस्तुत नही किया जायेगा कि समझौता हुआ है जिस पर डिकी आधारित है, उक्त समझौता विधिपूर्ण नही था। प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. अम्बालाल पुत्र डालु 111/1000 कुमावत सा. देह 2. जोधराज पुत्र दोला 208/1000 कुमावत सा.देह (मृतक खातेदार के बजाय उसके विधिक वारीसान) 3. बालुराम पुत्र दोला 208/1000 कुमावत सा.देह 4. सुरेशचन्द्र पुत्र परशुराम 55/1000 कुमावत सा.देह 5. सायरी पुत्री दोला 209/1000 कुमावत सा.देह 6. सोसर पुत्री दोला 209/1000 कुमावत सा.देह	ग्राम थला (खाता संख्या 175)	2190/57	0.10
		योग	1	0.10

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/11/2025 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
वावत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान	–	

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)